तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/6493/2006/सवाई माधोपुर सरकार बनाम बजरंगा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य

उपस्थित–

श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, उपराजकीय अभिभाषक प्रार्थी
विपक्षी अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– 19–11–2020

हस्तगत रेफरेन्स जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 28–06–2006 के द्वारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बन्धा की आराजी खसरा संख्या 68/2 रकबा 14 बिस्वा गैरमुमकिन नाली के रूप में जमाबंदी सम्वत 2026–2029 में दर्ज थी। आवंटन अधिकारी ने उक्त 14 बिस्वा (बाद बंदोबस्त हाल खसरा संख्या 705 रकबा 0–11 ऐयर तथा खसरा संख्या 726 रकबा 0–07 ऐयर कुल 18 ऐयर) भूमि का नियमन अनियमित रूप से अप्रार्थी धन्ना पुत्र बालू मीना के पक्ष में कर दिया। उक्त नियमन की पालना में नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 13–01–1974 गैरखातेदारी का तथा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 967 अप्रार्थीगण के पक्ष में तस्दीक दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन रेफरेंस को स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि को गैरमुमकिन नाली दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया है।

हमने राज्य पक्ष के विद्वान अभिभाषक की रेफरेंस के संबंध में विस्तृत बहस सुनी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/6493/2006/सवाई माधोपुर सरकार बनाम बजरंगा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी की पूववर्ती किस्म गैरमुमकिन नाली की भूमि के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उन्होंने कहा कि नाला, नदी, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–08–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। अन्त में उन्होंने राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी की किस्म पूववर्ती गैरमुमकिन नाली दर्ज करने का निवेदन किया।

हमने राज्य पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन एवं गहन अध्ययन किया।

हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्रावली का परीक्षण किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट है कि ग्राम बन्धा की आराजी खसरा संख्या 68/2 रकबा 14 बिस्वा गैरमुमकिन नाली के रूप में जमाबंदी सम्वत 2026–2029 में दर्ज थी। आवंटन अधिकारी ने उक्त 14 बिस्वा (बाद बंदोबस्त हाल खसरा संख्या 705 रकबा 0–11 ऐयर तथा खसरा संख्या 726 रकबा 0–07 ऐयर कुल 18 ऐयर) भूमि का नियमन अनियमित रूप से अप्रार्थी धन्ना पुत्र बालू मीना के पक्ष में कर दिया। उक्त नियमन की पालना में नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 13–01–1974 गैरखातेदारी का तथा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 967 अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार नदी, नाला, तालाब, अंगोर,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/6493/2006/सवाई माधोपुर सरकार बनाम बजरंगा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमियां आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में सम्मिलित है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–08–1947 की स्थिति को रेकार्ड के अनुसार बहाल किया जाना है। अतः हमारी सुविचारित राय के अनुसार विवादित आराजी के संबंध में अप्रार्थी के पक्ष में दर्ज की गई खातेदारी उपलब्ध प्रावधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। इसके साथ ही ग्राम बन्धा तहसील सवाई माधोपुर स्थित विवादित आराजी गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 13–01–1974 तथा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 967 को निरस्त किया जाता है। विवादित आराजी को पुनः राजस्व रेकार्ड में पूर्ववर्ती गैरमुमकिन नाली सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की सूचना योग्य राजकीय अधिवक्ता को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे।

(विनीता श्रीवास्तव)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/6493/2006/सवाई माधोपुर सरकार बनाम बजरंगा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए